



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

आषाढ 23, बुधवार, शाके 1943-जुलाई 14, 2021  
Asadha 23, Wednesday, Saka 1943- July 14, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा

अधिसूचनाएं

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 14, 2021

**एस.ओ.234 :-** राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 में प्रकाशित हुई है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7, 7ए व 8 व उनकी प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“

7.	DoIT द्वारा बनाये गये पोर्टल <a href="http://covidinfo.rajasthan.gov.in">http://covidinfo.rajasthan.gov.in</a> → e-intimation:MARRIAGE व 181 हैल्प लाईन नम्बर पर पूर्व सूचना दिये बिना विवाह संबंधित समारोह आयोजन करने या सामाजिक दूरी नहीं बनाये जाने की स्थिति में, बैण्ड-बाजा, लाईट-डेकोरेशन, केटरिंग व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम में वैक्सीन की प्रथम डोज नहीं लगाने पर, फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करने पर, या वीडियोग्राफी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं करवाने पर एवं सड़क पर बारात-निकासी, डीजे, बैण्ड-बाजा का आयोजन करने पर तथा विवाह समारोह का आयोजन प्रातः 6.00 बजे से सांय 8.00 बजे के पश्चात आयोजित किये जाने पर।	1,00,000/- (एक लाख)
7ए.	किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7ए के उल्लंघन पर।	1,00,000/- (एक लाख)
8.	सामान्यतः विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले जिसमें 25 व्यक्ति से अधिक होने या उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात विवाह-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या	1,00,000/- (एक लाख)

	50 तक अनुमति से अधिक होने पर एवं अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा, लाईट-डेकोरेशन, केटरिंग को मिलाकर 15 से अधिक व्यक्ति होने पर।	
--	--	--

"

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

---

Government Central Press, Jaipur.